


51

57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व इण्डियन गवार्नियर कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.



AS-201

1. कृष्ण निवास सिंह तनय स्व. विद्यानिवास सिंह
 2. गेहल निवास सिंह तनय स्व. विद्यानिवास सिंह
- दोनों निवासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.

R. 2873-II/12

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीरज सिंह तनय स्व. शिवनिवास सिंह
2. नाराज सिंह तनय स्व. शिवनिवास सिंह
3. कंगोचरी सिंह पत्नी स्व. शिवनिवास सिंह

सभी निवासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म

.....गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री प्रकाश गान्ध
बेवा पालुता रीवा, दि. 27.8.12

13/8/2012

27-8-12

निगरानी विस्तर आदेश दिनांक- 21.05.2012 प्रकरण क्रमांक- 11-अ/27/2009-10 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2873-II/12

जिला-रीवा

कृष्णनिवास सिंह / धीरज सिंह व अन्य

(1)	(2)	(3)
20.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदकेगण की तलवी हेतु तलवाना भी जमा नहीं किया गया है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	